न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 21/2020

रोहिताश्व पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति मेघवाल, निवासी टीटनवाड़, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनूं।
– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम रोहिताश्व अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 08/2020 निर्णय दिनांक 19.06.2020

उपस्थितिः–

1 श्री राजेश कुमार खेदड़, एडवोकेट ––––– – –––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट–––––––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.10.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.06.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रोहिताश्व मु0नं0 08/2020 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– हल्का पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट में ग्राम टीटनवाड़ में भूमि हाल खसरा नम्बर 1348/653 रकबा 0.24 हैक्टर गैर मुमकिन मरघट में से 0.05 हैक्टर सरकारी भूमि पर अपीलान्ट को अनाधिकृत रूप से तुड़े की टपरी, कुरड़ी, लकड़िया, पशुधन हेतु काम में ली जाकर अतिक्रमण करना बताया है। उक्त भूमि अपीलार्थी के घर के समीप होने के कारण केवल राजनैतिक द्वेषता के चलते अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी की तारीफ में नही आता। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

बेदखल नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से धारा 91 की कार्यवाही की है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी का निर्णय दिनांक 19.06.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः– हल्का पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट में ग्राम टीटनवाड़ में भूमि हाल खसरा नम्बर 1348/653 रकबा 0.24 हैक्टर गैर मुमकिन मरघट में से 0.05 हैक्टर सरकारी भूमि पर अपीलान्ट को अनाधिकृत रूप से तुड़े की टपरी, कुरड़ी, लकड़िया, पशुधन हेतु काम में ली जाकर अतिक्रमण करना बताया है। उक्त भूमि अपीलार्थी के घर के समीप होने के कारण केवल राजनैतिक द्वेषता के चलते अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्व गलत आदेश पारित किया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी की तारीफ में नही आता। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलार्थी को बेदखल नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबुत व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से धारा 91 की कार्यवाही की है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी का निर्णय दिनांक 19.06.2020 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम टीटनवाड़ में भूमि हाल खसरा नम्बर 1348/653 रकबा 0.24 हैक्टर गैर मुमकिन मरघट में से 0.05 हैक्टर सरकारी भूमि पर अपीलान्ट को अनाधिकृत रूप से तुड़े की टपरी, कुरड़ी, लकड़िया, पशुधन हेतु काम में ली जाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर [illegible] तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को [illegible] है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट [illegible] की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे विवादित भूमि पर उनका कब्जा वैद्य साबित होता हो। अतिक्रमित भूमि गै0मु0 मरघट होने से नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2020 उनवानी सरकार बनाम रोहिताश्व मु0नं0 08/2020 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.11.01 13:42:56 IST
Reason: SelfAttested